भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3882

जिसका उत्तर मंगलवार 09 अगस्त, 2016 को दिया जाना है

**टेस्ला और भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम समझौता**

**3882. श्री विनयाक भाऊराव राऊत:**
**एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर:**
**श्री विद्युत वरण महतो:**
**श्री मोहिते पाटिल विजय सिंह शंकरराव:**
**श्री सुधीर गुप्ता:**
**श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:**
**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**
**डॉ. हिना विजय कुमार गावीत:**
**डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़:**
**श्री धनंजय महाडीक:**
**श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:**
**श्री गजानन कीर्तिकर:**
**श्री टी. आर. राधाकृष्णन:**
**श्री आनंदराव अडसुल:**
**डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**
**डॉ. जे. जयवर्धन:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में वैकल्पिक प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने का है और वह बायोगैस, सीएनजी, एथनॉल और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था शुरू करने के उद्देश्य से विशेषकर वाणिज्यिक और पब्लिक मोटर वाहनों के संबंध में यूएस आधारित इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता कंपनी टेस्ला और भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच किसी संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यूएस आधारित कंपनी से भारत को अपना एशियाई विनिर्माण केन्द्र बनाने का आग्रह किया है और दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में निर्यात को सुलभ बनाने के उद्देश्य से प्रमुख भारतीय पत्तनों के निकट भूमि देने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया मिली है; और

(ङ) यूएस फर्म टेस्ला के सहयोग से देश को किस प्रकार और किस हद तक लाभ मिलने की संभावना है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री**

**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

**(क):** देश में वैकल्पिक प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग विभाग ने फेम-इंडिया स्कीम [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की है जिससे कि ये वाहन खरीदारों की पहली पसंद बन जाएं और ये वाहन पारम्परिक वाहनों की जगह ले लें। इस प्रकार, ऑटोमोबाइल सेक्टर

से देश में तरल ईंधन की खपत में कमी हो सके। सरकार उन उपभोक्ताओं के लिए कीमत में शुरूआती कटौती के रूप में प्रोत्साहन की पेशकश कर रही है जो इस स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहन (रेट्रोफिटमेंट किट सहित) खरीदते हैं। इस स्कीम को दिनांक 13 मार्च, 2015 की राजपत्र अधिसूचना का.आ. 830(ई) में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट [http://dhi.nic.in] पर उपलब्ध है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी देश में वैकल्पिक प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की हैं, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट [http://morth.nic.in] पर उपलब्ध हैं:-

(i) जीएसआर 682(ई) दिनांक 12.07.2016 - फ्लैक्स फ्यूल (ई 85) अथवा (ई100) और एथनॉल (ईडी 95) वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक के संबंध में।
(ii) जीएसआर 412(ई) दिनांक 11.04.2016 - बायोडीजल के संबंध में।
(iii) जीएसआर 629(ई) दिनांक 24.06.2016 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के रेट्रोफिटमेंट के संबंध में।

**(ख):** नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग का लाइसेंस जुलाई, 1991 में समाप्त कर दिया गया था। तथापि, यात्री कार का लाइसेंस 1993 में समाप्त किया गया था। वाहन विनिर्माताओं के लिए यात्री कारों सहित विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी आयात संबंधी मानदंडों का भी विगत कुछ वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर उदारीकरण किया गया है ताकि इस सेक्टर को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

अतः भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार को फिलहाल टेस्ला, यूएस आधारित इलेक्ट्रिक कार विनिर्माणकारी कंपनी तथा भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच इस प्रकार के किसी संयुक्त उद्यम समझौते की जानकारी नहीं है।

**(ग):** सरकार ने इस प्रकार की ऐसी कोई औपचारिक पेशकश नहीं की है।

**(घ) और (ङ):** उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*******